न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील : 07/2020

दायर दिनांक : 13.03.2020

निर्णय दिनांक : 01.04.2021

—:अनवान:—

श्री माधुलाल पिता हजारी गूर्जर निवासी आगल गावॅ, तहसील आमेट जिला राजसमन्द

———अपीलांट

—:बनाम:—

राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार, सरदारगढ़

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार, सरदारगढ़ आदेश दिनांक 30.10.2019 प्रकरण संख्या 201/2019 प्रार्थना पत्र धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम से व्यथित होकर

उपस्थित :—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, अपीलांट

2— श्री कैलाश चन्द्र बोल्या, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट

—::निर्णय::—

अपीलार्थी ने उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा दिनांक 30.10.2019 को पारित आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.03.2020 को अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 मय धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है।

ग्राम आगलगावॅ, पटवार हल्का जेतपुरा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 1174/401, 1166/402 रकबा 2.000 हेक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होना मानकर बेदखली व शास्ति 100 रूपये आरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई हैं। उक्त भूमि के नियमन हेतु पूर्व में पत्रावली विचाराधीन होते हुए भी नायब तहसीलदार सरदारगढ़ द्वारा अन्य लोगो के प्रभाव में आकर प्रार्थी को बेदखल करने के लिए कार्यवाही प्रकरण संख्या 77/2011 दिनांक 12.010.2011 से बेदखली का आदेश पारित किया गया। उक्त बेदखली के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में 14.11.2011 को वाद दायर किया जिसका निर्णय दिनांक 26.12.2011 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार, सरदारगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 11.01.2008 की अनुपालना में कार्यवाही की जाकर मामले को आवंटन नियमन सलाहकार कमेटी के समक्ष विचारार्थ पेश करने की कार्यवाही की जावें। उक्त आदेश के उपरान्त उप तहसीलदार, सरदारगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 63/2013 दिनांक 20.02.2014 के निर्णय से अपीलार्थी का नियमित कब्जा होने से प्रकरण नियमन हेतु नियमन आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भेजने के आदेश पारित किये गये। लेकिन उक्त प्रकरण

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नियमन सलाहकार समिति के वहॉ लम्बित होते हुए भी नियमन किये जाने का कोई आदेश पारित नही किया और अवैध रूप से अब अपीलार्थी को माननीय न्यायालय के आदेश एवं नियमन के लिये प्रेषित किये गये प्रकरण के विचाराधीन होते हुए भी बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो विधि विपरित हैं। अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30.10.2019 को अपास्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई व रेस्पोण्डेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि ग्राम आगलगावॅ, पटवार हल्का जेतपुरा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 1174/401, 1166/402 रकबा 2.000 हेक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होना मानकर बेदखली व शास्ति 100 रूपये आरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई हैं। उक्त भूमि के नियमन हेतु पूर्व में पत्रावली विचाराधीन होते हुए भी नायब तहसीलदार सरदारगढ़ द्वारा अन्य लोगो के प्रभाव में आकर प्रार्थी को बेदखल करने के लिए कार्यवाही प्रकरण संख्या 77/2011 दिनांक 12.010.2011 से बेदखली का आदेश पारित किया गया। उक्त बेदखली के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में 14.11.2011 को वाद दायर किया जिसका निर्णय दिनांक 26.12.2011 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार, सरदारगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 11.01.2008 की अनुपालना में कार्यवाही की जाकर मामले को आवंटन नियमन सलाहकार कमेटी के समक्ष विचारार्थ पेश करने की कार्यवाही की जावें। उक्त आदेश के उपरान्त उप तहसीलदार, सरदारगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 63/2013 दिनांक 20.02.2014 के निर्णय से अपीलार्थी का नियमित कब्जा होने से प्रकरण नियमन हेतु नियमन आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भेजने के आदेश पारित किये गये। लेकिन उक्त प्रकरण नियमन सलाहकार समिति के वहॉ लम्बित होते हुए भी नियमन किये जाने का कोई आदेश पारित नही किया और अवैध रूप से अब अपीलार्थी को माननीय न्यायालय के आदेश एवं नियमन के लिये प्रेषित किये गये प्रकरण के विचाराधीन होते हुए भी बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो विधि विपरित हैं। अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30.10.2019 को अपास्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.12.2011 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 11.01.2008 की अनुपालना में कार्यवाही की जाकर मामले को आवंटन नियमन सलाहकार कमेटी के समक्ष विचारार्थ पेश करने की कार्यवाही की जावें। तथा जब तक आवंटन नियमन सलाहकार कमेटी के समक्ष उक्त वादग्रस्त भूमि का कोई निर्णय पारित न हो, तब तक उप तहसीलदार, सरदारगढ़ के आदेश दिनांक 30.10.2019 का क्रियान्वयन नही किया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

—::आदेश::—

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर उक्त प्रकरण उप तहसीलदार, सरदारगढ़ को प्रतिप्रेषित (REMAND) कर निर्देशित किया जाता हैं कि जब तक आवंटन नियमन सलाहकार कमेटी के समक्ष उक्त वादग्रस्त भूमि का कोई निर्णय पारित न हो, तब तक उप तहसीलदार, सरदारगढ़ के आदेश दिनांक 30.10.2019 का क्रियान्वयन नही किया जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)